

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद

प्रेस विज्ञप्ति

आज दिनांक 29/06/2017 मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुपालन में इलाहाबाद विकास प्राधिकरण/नगर निगम/प्रशासन के द्वारा अतिक्रमणों के विरुद्ध चलाये जा रहे संयुक्त अभियान के क्रम में लिडिल रोड कासिंग से होते हुए सी0वाई0 चिन्तामणि रोड होते हुए कम्पनी बाँग गेट तक नाला, नाली/पटिरियों से 03 भटठी, 17 रैम्प, 01 कमरा, 02 बांस-बल्ली के टट्टर, 01 गुमटी-टेले, 02 शाईन बोर्ड हटया गया तथा अतिक्रमणकर्ताओं से रूपया 12.000,00(बारह हजार रूपया मात्र) का जुर्माना भी वसूला गया।

इस कार्यवाही में एडीए से विशेष कार्याधिकारी श्री आलोक कुमार पाण्डेय, क्षेत्रीय अवर अभियन्ता, अपर नगर मजिस्ट्रेट, क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज नगर निगम से जोनल अधिकारी नजूल विभाग के समस्त जिलेदार अतिक्रमण उन्मूलन के अतिरिक्त पुलिस/पी0ए0सी0 बल एवं एडीए प्रवर्तन दल मौजूद रहे।

इसी क्रम में अनाधिकृत निर्माणों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही निम्नवत है-

जोन संख्या-01,03 व 06 में जोनल अधिकारी श्री आलोक कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में 12 चालान, 05 नोटिस, निर्गत की गयी, 02 निर्माण सील किया गया तथा 02 निर्माण ध्वस्त किया गया।

जोन संख्या-02 व 04 में जोनल अधिकारी श्री गुडाकेश शर्मा के नेतृत्व में 12 चालान 04 नोटिस निर्गत की गयी।

जोन संख्या-05 में जोनल अधिकारी श्री पी0एन0यादव के नेतृत्व में 01 चालान निर्गत की गयी।

इस प्रकार कुल 25 चालान 09 नोटिस निर्गत की गयी तथा 02 निर्माण सील किया गया एवं 02 ध्वस्त किया गया।

उक्त कार्यवाही में जोनल अधिकारियों के अतिरिक्त क्षेत्रीय अवर अभियन्ता/क्षेत्रीय भवन निरीक्षक एडीए प्रवर्तन दल एवं पुलिस बल उपस्थित रहे।

(ए0के0पाण्डेय)

प्रभारी अधिकारी जनसम्पर्क
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण
इलाहाबाद,

प्रतिलिपि : सम्पादक- समस्त दैनिक समाचार पत्रों को इस आशय के साथ प्रेषित है कि उक्त विज्ञप्ति को अपने सम्मानित समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।


प्रभारी अधिकारी जनसम्पर्क